पत्र संख्या-आई0टी0/ एन0आई0सी0 कम्प्यूटर साफ्टवेयर/(2016-2017)/ 648/1617038 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश

(आई0टी0-अनुभाग)

दिनॉक // लखनऊ // अक्टूबर, 07 2016

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,

समस्त ज्वाइंट कमिश्नर(कार्यपालक/कारपोरेट सेल)

समस्त कर-निर्धारण अधिकारी, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

कृपया मुख्यालय के पूर्व पत्रांक : आई0टी0/एन0आई0सी0 कम्प्यूटर साफ्टवेयर/(2014-2015)/754/1415107/ दिनॉक 30.12.2014, पत्रांक : आई0टी0/एन0आई0सी0 कम्प्यूटर साफ्टवेयर/(2014-2015)/817/ दिनॉक 22.01.2015, पत्रांक:(शोध/जी0एस0टी0)/पैन अपडेशन/2015-16/166 वाणिज्य कर दिनॉक 21.08.2015, पत्रांक:(शोध/जी0एस0टी0)/पैन अपडेशन/2015-16/273 दिनॉक 21.11.2015 तथा पत्रांक : आई0टी0/एन0आई0सी0 कम्प्यूटर साफ्टवेयर/(2016-2017)/284/1617020 दिनॉक 08.07.2016 का संदर्भ लें जिनके द्वारा प्रस्तावित जी0एस0टी0 व्यवस्था हेतु विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के पैन अपडेशन के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये थे । इसी क्रम में मुख्यालय के पत्रांक : आई0टी0/एन0आई0सी0 कम्प्यूटर साफ्टवेयर/(2016-2017)/509/1617029 दिनॉक 31.08.2016 द्वारा निर्देशित किया गया था कि जी0एस0टी0 प्रक्रिया के सुचारू संचालन हेतु शीघ्रातिशीघ्र समस्त व्यापारियों का PAN अपडेशन का कार्य सम्पन्न करना सुनिश्चित करें ।

2- परन्तु कदाचित इस सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा गम्भीरता पूर्वक कार्यवाहियॉ नही की गयी है । जबकि प्रस्तावित GST प्रणाली के अन्तर्गत पंजीयन हेतु व्यापारी का सही PAN अभिलेखों में अंकित होना अति आवश्यक है । इस सम्बंध में NIC द्वारा अवगत कराया गया है कि PAN Verification प्रक्रिया में 101227 PAN Structurally Invalid पाए गए है । विभाग द्वारा व्यापारियों के डेटा को GSTN पर migrate करने से पूर्व विभागीय डेटाबेस में अंकित PAN का तीन स्तरों पर सत्यापन आवश्यक है :-

1- पैन का Structurally valid होना ।

2- फर्म के constitution तथा डेटाबेस में उपलब्ध पैन के constitution का समान होना ।

3- NSDL तथा वाणिज्य कर विभाग के Business name का समान होना ।

3- विभाग द्वारा NSDL के माध्यम से आनलाइन सत्यापन कराये गये पैन डेटाबेस में 101227 पैन Structurally Invalid पाये गये है तथा शेष Structurally valid पैन की जॉच Business name तथा फर्म के constitution के बिन्दु पर कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा किया जाना अपेक्षित है ।

4- **Structurally valid PAN के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारियों/विभाग के स्तर पर कार्यवाही**

व्यापारियों द्वारा उपलब्ध कराये गये पैन की eyeball checking हेतु कर निर्धारण अधिकारियों के login पर ऐसे सभी व्यापारियों की सूची उपलब्ध करा दी गयी है जिनके पैन Structurally valid है । पैन की जॉच की प्रक्रिया निम्नवत है :-

1- कर निर्धारण अधिकारी द्वारा login करके Registration link पर उपलब्ध "eyeball checking as per NSDL PAN data" पर click किया जायेगा । Link पर click करने पर कर निर्धारण अधिकारी के अधिकार क्षेत्र से सम्बन्धित व्यापारियों का विभागीय डेटाबेस में रजिस्टर्ड डेटा तथा NSDL के डेटाबेस पर रजिस्टर्ड डेटा स्क्रीन पर उपलब्ध हो जायेगा ।

2- कर निर्धारण अधिकारी को कार्यवाही करने हेतु Action column के अन्तर्गत "select for action" Link पर click करना होगा । तत्पश्चात स्क्रीन पर action type तथा Remark का विकल्प उपलब्ध होगा ।

क्रमशः पृष्ठ-2 पर

NSDL के पैन डेटा तथा वाणिज्य कर विभाग के पैन डेटा के समान होने की स्थिति में action type में drop down से correct का विकल्प चयनित किया जायेगा। यदि NSDL तथा विभागीय डेटा सत्यापित नही होता है तो action type में Drop down में incorrect का चयन किया जायेगा।

3- Incorrect का चयन करने पर स्क्रीन पर डेटा के incorrect होने से सम्बन्धित 8 reasons स्क्रीन पर प्रदर्शित होगें जिसमें से सम्बन्धित कारणों का चयन किया जा सकेगा। कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा अपनी टिप्पणी Remark की फील्ड में अंकित करने के पश्चात Save के बटन पर click करने पर select record updated का मैसेज प्रदर्शित होगा।

4- पैन सत्यापन से सम्बन्धित उक्त कार्यवाही की रिपोर्ट स्क्रीन पर उपलब्ध "Report eyeball checking of NSDL PAN data" के Link पर उपलब्ध होगी।

5- **ऐसे व्यापारी जिनके द्वारा ई-सर्विसेज का उपयोग किया जा रहा है उनके Structurally Invalid PAN के सत्यापन हेतु कर निर्धारण अधिकारियों/विभाग के स्तर पर कार्यवाही**

ऐसे व्यापारी जिनके द्वारा ई-सर्विसेज का उपयोग किया जा रहा है तथा उनके PAN **Structurally Invalid** है उनकी ई-सर्विसेज सम्बन्धी विकल्प login करने के पश्चात रोक दिये गये है तथा PAN के अपडेशन के पश्चात ही उनक login पर ई-सर्विसेज सम्बन्धी विकल्प उपलब्ध होगें। ऐसे व्यापारियों के PAN अपडेशन करने के सम्बन्ध में विस्तृत प्रक्रिया मुख्यालय के पत्रांक : आई0टी0/एन0आई0सी0 कम्प्यूटर साफ्टवेयर/(2016-2017)/509/1617029 दिनॉक 31.08.2016 द्वारा जारी की जा चुकी है।

व्यापारी द्वारा PAN अपडेशन हेतु आनलाईन आवेदन करने के पश्चात उक्त आवेदन सम्बंधित कर निर्धारण अधिकारी के लागिन पर उपलब्ध हो जायेगा। आवेदन पर कार्यवाही हेतु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा Vyas Central Module में लागिन किया जायेगा। लॉगिन करने के पश्चात Disposal menu के अंतर्गत "Update PAN or TAN" के लिंक पर क्लिक किया जायेगा। लिंक पर क्लिक करने के पश्चात स्क्रीन पर उपलब्ध Receipt number के Drop down में से सम्बंधित Receipt को Select करके Submit बटन पर क्लिक करने पर व्यापारी द्वारा दाखिल किये गये सम्पूर्ण विवरण स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगें। इसके पश्चात स्क्रीन पर उपलब्ध Select Action field में उपलब्ध Update PAN अथवा Reject PAN Application के रेडियो बटन में से उपयुक्त बटन का चयन किया जायेगा। व्यापारी द्वारा अपलोड की गयी फर्म के PAN कार्ड की छायाप्रति स्क्रीन में View uploaded PAN पर उपलब्ध होगी। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सत्यापित करने के पश्चात "Verify after seen the PAN" के चेक बॉक्स पर क्लिक करके Submit किया जायेगा। Submit करने पर व्यापारी का PAN अपडेट हो जायेगा।

6- **ऐसे व्यापारी जिनके द्वारा ई-सर्विसेज का उपयोग नहीं किया जा रहा है उनके Structurally Invalid PAN के सत्यापन हेतु कर निर्धारण अधिकारियों/विभाग के स्तर पर कार्यवाही**

1- ऐसे समस्त व्यापारी जिनके द्वारा e-Services का उपयोग नहीं किया जा रहा है उनके द्वारा PAN अपडेशन के लिए फर्म के PAN की छायाप्रति सहित आवेदन सम्बंधित कर निर्धारण कार्यालय के व्यापारी सुविधा केन्द्र में दिया जायेगा।

2- व्यापारी सुविधा केन्द्र में उपलब्ध कर्मचारी द्वारा इस प्रकार के आवेदन से सम्बंधित "Application for Entry of Firm PAN" के अन्तर्गत प्रदान की जायेगी। रसीद काटते समय सम्बंधित PAN की छायाप्रति PDF Format में कर्मचारी द्वारा अपलोड की जायेगी। व्यापारी को उक्त आवेदन की Acknowledgement Receipt प्रदान की जायेगी।

व्यापारी द्वारा PAN अपडेशन हेतु रसीद प्राप्त करने के पश्चात उक्त आवेदन सम्बंधित कर निर्धारण अधिकारी के लागिन पर उपलब्ध हो जायेगा। आवेदन पर कार्यवाही हेतु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा Vyas Central Module में

क्रमशः पृष्ठ-3 पर

लागिन किया जायेगा। लॉगिन करने के पश्चात Disposal menu के अंतर्गत "Update PAN or TAN" के लिंक पर क्लिक किया जायेगा। लिंक पर क्लिक करने के पश्चात स्क्रीन पर उपलब्ध Receipt number के Drop down में से सम्बंधित Receipt को Select करके Submit बटन पर क्लिक करने पर व्यापारी द्वारा दाखिल किये गये सम्पूर्ण विवरण स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगें। इसके पश्चात स्क्रीन पर उपलब्ध Select Action field में उपलब्ध Update PAN अथवा Reject PAN Application के रेडियो बटन में से उपयुक्त बटन का चयन किया जायेगा। व्यापारी द्वारा अपलोड की गयी फर्म के PAN कार्ड की छायाप्रति स्क्रीन में View uploaded PAN पर उपलब्ध होगी। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सत्यापित करने के पश्चात "Verify after seen the PAN" के चेक बॉक्स पर क्लिक करके Submit किया जायेगा। Submit करने पर व्यापारी का PAN अपडेट हो जायेगा।

7- प्रस्तावित GST व्यवस्था के लिये निर्धारित समयावधि में PAN के सत्यापन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिये ऐसे व्यापारी जिनके द्वारा दिया गया PAN असत्यापित है उनको नोटिस जारी कर PAN के सत्यापन सम्बंधी कार्यवाही पूर्ण कराये जाने के सम्बंध में कार्यवाही की जाये। ऐसे व्यापारी जिनका ई-मेल विभागीय डाटाबेस में उपलब्ध है उनको ई-मेल के माध्यम से नोटिस प्रेषित की जाये। PAN के सत्यापन सम्बंधी नोटिस को संविदा सेवकों के माध्यम से भी तामील कराया जा सकता है।

8- Structurally Invalid PAN के सम्बन्ध में सभी कार्यालय लोकल समाचार पत्रों में PAN Update कराने के सम्बन्ध में प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें तथा सभी कार्यालयों में इस आशय के पोस्टर्स भी चिपकाएँ जाए।

9- यदि व्यापारी द्वारा **दिनॉक 31.10.2016 तक** PAN के updation की कार्यवाही को पूर्ण नहीं किया जाता है तो सर्वेक्षण के उपरान्त व्यापारी के टिन को निरस्त करने की कार्यवाही आरम्भ कर दी जाये।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

7/10/16

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।